

कार्यालय, जिला पंचायत दुर्ग (छ.ग.)
विकसित भारत –रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण)
(Viksit Bharat-G-RAM-G)
विज्ञापन

क्र./31208 /जि.पं./VB-G-RAM-G/स्था./2026-27

दुर्ग, दिनांक :12.10.2026

आयुक्त, विकसित भारत जी राम जी, नया रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ का पत्र क्र. I/608889/2026 /वि-7/स्था./VB-G-RAM-G नया रायपुर, अटल नगर दिनांक 31.08.2026 के परिपेक्ष्य में विकसित भारत –रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत जनपद स्तर के कार्यालयों में रिक्त संविदा पद सहायक प्रोग्रामर एवं लेखापाल पदों पर भर्ती हेतु वांछित अर्हताधारी एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन दिनांक 30.10.2026 को कार्यालयीन समय 5.30 बजे तक विज्ञापन में दर्शित शैक्षणिक योग्यता, विशेष योग्यता, आवश्यक दस्तावेजों तथा नवीनतम स्व-प्रमाणित फोटो के साथ कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दुर्ग, जिला दुर्ग छ.ग. के पते पर पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है। व्यक्तिगत रूप से सीधे आवेदन अथवा ई-मेल अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्वीकार नहीं किये जायेंगे एवं अंतिम तिथि के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र को स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

अ/पदों का विवरण :-

क्र.	रिक्त पद का नाम	कुल पद	रिक्त पद की वर्गवार जानकारी			
			अनारक्षित (मुक्त)	अ.पि.व (मुक्त)	अनुसूचित जाति (मुक्त)	अनुसूचित जनजाति (मुक्त)
1	सहायक प्रोग्रामर	2	1	1	0	0
2	लेखापाल	2	2	0	0	0

ब/पदवार शैक्षणिक अर्हता, अनुभव व मेरिट अंक का विवरण :-

क्र.	पदनाम	एकमुश्त मासिक वेतन (रु.मे)	शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव	मेरिट हेतु अंक निर्धारण (कुल अंक 100)	
				विवरण	अंक
1	2	3	4	5	6
1	सहायक प्रोग्रामर (जनपद पंचायत)	35165/-	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.एस.सी. (कम्प्यूटर साइंस/सूचना प्रौद्योगिकी) / एम.सी.ए. या समकक्ष उपाधि। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साइंस/सूचना प्रौद्योगिकी में बी.ई./बी.टेक या समकक्ष उपाधि।	1. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुये	45
				2. कम्प्यूटर व प्रायोगिक परीक्षा से प्राप्त मेरिट अंक के आधार पर (न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य) 100 अंक का Weightage देते हुये	40
				शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पर कार्य अनुभव :-	
				न्यूनतम 1 से 2 वर्ष तक का अनुभव	5
				5 वर्ष तक का अनुभव	10
				5 वर्ष से अधिक का अनुभव	15

D:\VIGRAMG VIGYAPAN (11-10-2026).doc

2	लेखापाल (जनपद पंचायत)	23350/-	55 प्रतिशत में बी. काम. में उत्तीर्ण ।	1. हायर सेकेंडरी में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुये	20
				2. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता 100 अंको का Weightage देते हुये ।	50
				कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर	15
				शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पर कार्य अनुभव :-	
				न्यूनतम 1 से 2 वर्ष तक का अनुभव	5
				5 वर्ष तक का अनुभव	10
				5 वर्ष से अधिक का अनुभव	15

विज्ञापन, नियम व अन्य शर्तें कार्यालय के सूचना फलक पर एवं वेब साईट www.durg.gov.in पर देखी जा सकती है।

Digitally signed by
BAJRANG KUMAR DUBEY
Date: 13-10-2026
21:45:31

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत दुर्ग

नियम व शर्तें :-

1. निर्धारित प्रारूप में आवेदन सिर्फ पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 30.10.2026 तक कार्यालयीन दिवस एवं समय पर जिला पंचायत दुर्ग कार्यालय में स्वीकार किए जायेंगे । अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा ।
2. रिक्त पद के लिए निर्धारित संलग्न प्रारूप में आवेदन करना अनिवार्य है, साथ ही पत्राचार हेतु एक खाली लिफाफा 5 रु. डाक टिकट सहित स्वयं का पता लिखा आवेदन के साथ संलग्न करना होगा ।
3. लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, वर्ग जिस हेतु आवेदन किया जा रहा है का स्पष्ट उल्लेख किया जाये, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। एक से अधिक पद हेतु आवेदन करने की स्थिति में प्रत्येक पद हेतु पृथक-पृथक आवेदन करना होगा ।
4. आयु न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष । सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा में छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ नियामकियों एवं विभिन्न वर्गों के लिए समय-समय पर जारी निर्देश के अनुरूप छूट की पात्रता होगी। आयु गणना 01 जनवरी 2026 के आधार पर की जायेगी।
5. आवेदक का छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है । सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति एवं निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किये जायेंगे ।
6. निःशक्तजन को मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
7. आवेदन में आवेदक का फोटो एवं समस्त प्रमाण-पत्र तथा अंकसूची स्व-प्रमाणित सत्यापित होना आवश्यक है ।

8. संविदा नियुक्ति एक वर्ष के लिए होगी, तत्पश्चात आवश्यकता होने पर कार्ययोजना, कार्यक्षमता, वार्षिक कार्य, मूल्यांकन (Annual Performance Appraisal) एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनों पक्षों की सहमति से कार्य अवधि एक वर्ष निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।
9. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. एफ. 9-1/2012/1-3 दिनांक- 31 दिसंबर 2012 के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्तें लागू होगी।
10. संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत अवकाश की पात्रता होगी।
11. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 2005 से शामिल होंगे।
12. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किस एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
13. सेवा समाप्ति पश्चात संविदा अधिकारी/कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी भी प्रकार के पेंशन, उपादान या मृत्युलाम आदि की पात्रता नहीं होगी।
14. जिले में प्राप्त कुल आवेदन पत्रों को मेरिट आधार पर सूचीबद्ध किया जावेगा और कौशल परीक्षा में प्राप्त अंको तथा अनुभव के अंको को जोड़ते हुए अंतिम चयन सूची तैयार किया जावेगा।
15. अनुभव प्रमाण-पत्र (आवेदित पद हेतु निर्धारित योग्यता से संबंधित हो) केवल शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पर कार्य अनुभव ही मान्य होंगे। पद से संबंधित क्षेत्र का प्रासंगिक अनुभव होने पर ही अथर्थी को नियमानुसार अनुभव अंक प्रदान किये जायेंगे।
16. आवेदन करने के समय अनुभव प्रमाण-पत्र जारी करने वाले संस्थान का नाम पूर्ण पता व अनुभव हेतु जारी कार्यालय आदेश कमांक, दिनांक एवं जारीकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम, संपर्क हेतु संबंधित का दूरभाष नंबर तथा ईमेल की जानकारी अनिवार्य रूप से दिया जावे। अनुभव प्रमाण पत्र के साथ कार्य अवधि के 6 माह के पे-स्लीप / बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा इसके अभाव में आवेदक द्वारा दिये गये अनुभव को मान्य न करते हुए अपात्र की श्रेणी में रखा जायेगा-जिसके लिये आवेदक ही स्वयं जिम्मेदार होगा।
17. शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पर कार्यानुभव रखने वाले अमले को अनुभव के 1 से 02 वर्ष का अनुभव होने पर 05 अंक, 05 वर्ष का अनुभव होने पर 10 अंक एवं 05 से अधिक वर्ष का अनुभव होने पर 15 अंक प्रदाय किया जावेगा।
18. शैक्षणिक योग्यता, अनुभव का अंक एवं कौशल परीक्षा में प्राप्त अंक को मिलाकर सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक को नियुक्ति दिया जावेगा एवं क्रमशः कम अंक पाने वाले आवेदक को एक वर्ष के लिये वरीयता कम प्रतीक्षा सूची में रखे जावेंगे एवं भविष्य में पद पद रिक्त होता है तो उसे वरीयता कम प्रतीक्षा सूची से भरा जावेगा।
19. यदि किसी आवेदक के अंकसूची में प्रतिशत अंक उल्लेखित न होकर सिर्फ ग्रेड दिया गया हो तो उन आवेदकों को स ग्रेड का औसत प्रतिशत अंक प्रदान किया जावेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी आवेदक को आठवीं में ए ग्रेड मिला हो तथा ए ग्रेड 80 से 90 प्रतिशत तक हो तो उस आवेदक के अंक को 85 प्रतिशत मानकर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।

20. समान अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरीयता उनके उम्र के आधार पर निर्धारित की जावेगी, जिसके अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी का चयन पहले किया जावेगा ।
21. शासकीय एवं अन्य वांछित संस्थाओं में कार्यरत आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जावेगा ।
22. ऐसे आवेदक जिन्हें पूर्व में सेवा अनुशासनहीनता/अनुचित व्यवहार/स्वेच्छाचारिता या अनियमितता के आधार पर विकसित भारत जी राम जी अथवा अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा किसी भी पद से पृथक किया गया हो, चयन के लिए पात्र नहीं होंगे । गलत जानकारी दिये जाने पर उम्मीदवारी निरस्त मानी जावेगी ।
23. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी ।
24. आवेदक जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।
25. पदों की संख्या में परिवर्तन संभावित है ।
26. विज्ञापन के पदवार जिले का आरक्षण, रोस्टर लागू होगा । जिला नियुक्ति के पूर्व आरक्षित पदों का मिलान जिला स्तरीय आरक्षण रोस्टर से करने के पश्चात ही नियुक्ति आदेश जारी करेंगे ।
27. विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का विस्तृत प्रारूप जिला पंचायत दुर्ग छ.ग. के सूचना पटल जिला प्रशासन दुर्ग के वेबसाईट www.durg.gov.in से अवलोकन/डाउनलोड किया जा सकता है ।
28. कुल प्राप्त आवेदनों को निर्धारित मापदण्डों के अनुसार परीक्षण उपरांत पात्र, अपात्र की सूची तैयार कर दावा आपत्ति हेतु जिले के वेबसाईट में अपलोड कर जिला पंचायत के नोटिस बोर्ड में चर्या की जावेगी । भर्ती संबंधी समस्त सूचनाएं केवल कार्यालय, जिला पंचायत के सूचना पटल एवं जिले के वेबसाईट www.durg.gov.in के माध्यम से प्रसारित की जावेगी । अतः इसका नियमित अवलोकन किये जावे ।
29. यदि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करता है या प्रभावित करने की कोशिश करता है, तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी ।
30. भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार जिला स्तरीय चयन समिति के पास सुरक्षित रहेगा ।
31. विकसित भारत जी राम जी आयुक्त कार्यालय, अटल नगर, नवा रायपुर के निर्देशानुसार नियमों में परिवर्तन मान्य है ।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by
BAJRANG KUMAR DUBEY
Date: 13-10-2026
19:32:11

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत दुर्ग

विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) योजना
जिला दुर्ग – (छत्तीसगढ़)
आवेदन-पत्र का प्रारूप

स्व-प्रमाणित
फोटो
चिपकाएं

1. पद एवं स्तर जिसके लिये (1) पद का नाम
आवेदन किया जा रहा है
2. आवेदक का नाम :
3. पिता/पति का नाम :
4. जाति (अजा/अजजा/पि.वर्ग) :
(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
5. जन्मतिथि :
6. आयु (01.01.2026 के अनुसार) : वर्ष.....माह.....दिवस.....
7. स्थायी पता :
.....
8. पत्र व्यवहार का पता :
.....
9. दूरभाष/मोबाईल नंबर (यदि कोई हो):
10. शैक्षणिक योग्यता

योग्यता	बोर्ड/वि.विद्यालय का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	विषय	अधिकतम अंक	प्राप्तांक	प्राप्तांको का प्रतिशत

(स्व-प्रमाणित अंकसूची संलग्न करें)

11. अनुभव संस्था का नाम पद का नाम

अनुभव की अवधि	
अनुभव का कार्यक्षेत्र	

(अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करें)

12. विशेष योग्यता 1.
2.

13. निवासी-ग्राम/ शहर विकासखण्ड.....जिला.....
राज्य

(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी छ.ग. राज्य का मूल निवास प्रमाण-पत्र संलग्न करें)

14. रोजगार कार्यालय का नाम :
एवं जीवित पंजीयन क्रमांक :

टीप:- जाति, मूलनिवासी, जन्मतिथि शैक्षणिक योग्यता अन्य चाही गई योग्यता अनुभव, व्यावसायिक योग्यता, प्रशिक्षण एवं अन्य प्रमाण-पत्रों की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

घोषणा-पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त सभी जानकारी मेरे विवेक से पूर्णतः सत्य है। इसमें से कोई जानकारी गलत/असत्य पाये जाने पर मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा, तथा मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी। इन परिस्थितियों में नियुक्तकर्ता अधिकारी को बिना बताये मेरे आवेदन/चयन/नियुक्ति को निरस्त करने का अधिकार होगा एवं उसका निर्णय मुझे मान्य होगा।

स्थान

दिनांक.....

आवेदक के हस्ताक्षर
(आवेदक का पूरा नाम)

संलग्न प्रमाण-पत्रों/अभिलेखों की सूची

1.
2.
3.